(e) Each Department shall prepare a consolidated list of students registered for open electives in the Department. Similarly, department shall prepare a list of their own students who have registered for open electives in other departments;

(f) Department shall also prepare a consolidated list of courses registered by the candidates during each semester;

(g) Faculty Advisor shall provide counseling to the students for registration in Elective Courses available in the department;

(h) The maximum number of students registered for an Elective Course shall be decided by the Board of Studies of the department in view of the availability of class room and laboratory;

(i) The registration for open electives will be made on first-come-first served basis provided students fulfill the prerequisite for the course, if any; and

(j) For an open elective, examination and evaluation shall be done by offering department; however, performance report of the candidate shall be given to parent department.

ORDINANCE NO: 23(B)***

THE AWARD OF THE DEGREE OF

DOCTOR OF SCIENCE (D. Sc.), DOCTOR OF LETTERS (D. Litt.), AND DOCTOR OF LAWS (LL. D.)

Existing	Amendment	After Amendment
1. ELIGIBILITY 1.1. A candidate seeking admission to D. Sc./ D. Litt./ LL. D. programme of the University, must have pursued outstanding research in the concerned discipline and obtained the minimum qualifications required for admission as mentioned below. The candidate must have obtained a Ph. D. or an equivalent degree from this University, in the concerned discipline, at least 5 (five) academic years prior to the date of application, OR must have obtained a Ph. D. or an equivalent degree from any other recognized university or from a foreign university of standing, in the concerned discipline, at least 5 (five) academic years prior to the date of application, OR must be a permanent teacher of the this University, who has put in a minimum of 5 (five) years of service in that capacity, in this University, prior to the date of application, and has obtained a Ph. D. or an equivalent degree from this or from any other recognized university or from a foreign university of standing, in the concerned discipline.	No Change	**1. ELIGIBILITY** 1.1. A candidate seeking admission to D. Sc./ D. Litt./ LL. D. programme of the University, must have pursued outstanding research in the concerned discipline and obtained the minimum qualifications required for admission as mentioned below. The candidate must have obtained a Ph. D. or an equivalent degree from this University, in the concerned discipline, at least 5 (five) academic years prior to the date of application, OR must have obtained a Ph. D. or an equivalent degree from any other recognized university or from a foreign university of standing, in the concerned discipline, at least 5 (five) academic years prior to the date of application, OR must be a permanent teacher of the this University, who has put in a minimum of 5 (five) years of service in that capacity, in this University, prior to the date of application, and has obtained a Ph. D. or an equivalent degree from this or from any other recognized university or from a foreign university of standing, in the concerned discipline.

2. APPLICATION 2.1 A candidate, who is seeking admission to D. Sc./ D. Litt./ LL. D. programme and who is eligible for admission in accordance with Clause 1.1 of these Ordinance, shall apply to the Controller of Examinations by submitting the following: His/her bio-data giving the details of educational qualifications, fields of specialization, research experience, academic distinctions, etc., along with a passport size photograph. Title of the thesis. A brief account of his/her recent research work, in about 1000 words on the subject relevant to the discipline in which he/ she has applied for admission to D. Sc./D. Litt./LL. D. programme, showing how far his/her work is original and is contributory to the advancement of knowledge. List of publications. Attested copies of certificates in support of qualifications and experience. 2.2 The last date for submission of the application form shall be 31st July in an academic year. 2.3 The Controller of Examinations shall send the application of the candidate to the concerned School/Centre within a week after the last date of the submission of application.	**No Change**	**2. APPLICATION** 2.1 A candidate, who is seeking admission to D. Sc./ D. Litt./ LL. D. programme and who is eligible for admission in accordance with Clause 1.1 of these Ordinance, shall apply to the Controller of Examinations by submitting the following: His/her bio-data giving the details of educational qualifications, fields of specialization, research experience, academic distinctions, etc., along with a passport size photograph. Title of the thesis. A brief account of his/ her recent research work, in about 1000 words on the subject relevant to the discipline in which he/she has applied for admission to D. Sc./ D. Litt./LL. D. programme, showing how far his/her work is original and is contributory to the advancement of knowledge. List of publications. Attested copies of certificates in support of qualifications and experience. 2.2 The last date for submission of the application form shall be 31st July in an academic year. 2.3 The Controller of Examinations shall send the application of the candidate to the concerned School/Centre within a week after the last date of the submission of application.
3. RESEARCH Degree COMMITTEE (RDC) 3.1 Subject to the general superintendence of the Academic Council, a committee, namely, the RDC shall deal with all matters connected with the D. Sc./ D. Litt./ LL. D. programme of the University in accordance with this Ordinance. However, the degree to be awarded shall be formally approved only by a Research Degree Committee, whose constitution is as follows. 3.2 The constitution of the Research Degree Committee shall be as follows: Vice-Chancellor Chairman Pro Vice-Chancellor Member Dean	**To be deleted**	**Deleted**

of school concerned The Head of the Department concerned Member Two expert members out of which one member is Members nominated by the Vice-Chancellor and another is by the Advisor of the concerned candidate Registrar Secretary		
4. ADMISSION		
4.1 The RDC shall scrutinize the applications of the candidates and shall recommend the eligible candidates for admission, to the Academic section of the University. The RDC shall also send the list of the names of the Advisors of the candidates to the Academic section for communicating to the concerned candidates.	4.1 The BoS shall scrutinize the applications of the candidates seeking admission to the D.Sc./D.Litt./LL.D. programme. The BoS atleast with one external member will conduct the interview of shortlisted candidates and will recommend the names of the candidates after assessing the potential, to the Academic Affairs section of the University	4.1 The BoS shall scrutinize the applications of the candidates seeking admission to the D.Sc./D.Litt./LL.D. programme. The BoS atleast with one external member will conduct the interview of shortlisted candidates and will recommend the names of the candidates after assessing the potential, to the Academic Affairs section of the University
4.2 The Registrar shall issue the letter of admission to each candidate recommended by the RDC.	4.2 The BoS shall also send the list of names of the Advisors of the candidates to the Academic Affairs section for communicating to the concerned candidates.	4.2 The BoS shall also send the list of names of the Advisors of the candidates to the Academic Affairs section for communicating to the concerned candidates.
4.3 Within one month after the receipt of the letter of admission, the candidate shall pay the prescribed fee as prescribed by the Academic Council from time to time and shall get registered in the concerned Department by filling a registration form.	4.3 The Registrar shall issue the letter of admission to each candidate recommended by the BoS, after approval of the Vice Chancellor.	4.3 The Registrar shall issue the letter of admission to each candidate recommended by the BoS, after approval of the Vice Chancellor.
5. SUBMISSION OF THE THESIS		
5.1 A candidate, admitted to D. Sc./ D. Litt./LL. D. programme in accordance with Clause 4 of this Ordinance, shall deliver a pre-submission seminar in the Department before the submission of the thesis, which shall be arranged by the Advisor of the candidate to apprise the teachers and other research workers of the Department/ School of his/ her work.	A candidate admitted to D. Sc./ D. Litt./LL. D. programme shall deliver a pre-submission seminar in the Department before the BoS of the concerned department wherein at least one external member of BoS must be present. The seminar shall be arranged by the Advisor of the candidate. Based on the recommendations of the BoS, candidate shall be permitted to submit the thesis.	A candidate admitted to D. Sc./D. Litt./ LL. D. programme shall deliver a pre-submission seminar in the Department before the BoS of the concerned department wherein at least one external member of BoS must be present. The seminar shall be arranged by the Advisor of the candidate. Based on the recommendations of the BoS, candidate shall be permitted to submit the thesis.
5.2 The candidate, within one year from the date of his/ her admission, shall submit the thesis to the Registrar approved by the RDC, and duly forwarded by its Chairman.	The candidate may submit the thesis after two years from the date of admission. He/she must submit the thesis within five years from the date of admission otherwise his/her candidature shall be cancelled.	The candidate may submit the thesis after two years from the date of admission. He/she must submit the thesis within five years from the date of admission otherwise his/her candidature shall be cancelled.

5.3 The candidate shall submit the thesis as per the following guidelines: Five copies of the thesis in hardbound form as per the format given in Annexure – A. The title page of the thesis shall contain a statement that the thesis has been submitted for the award of the concerned degree for which the candidate has been admitted. A soft copy in CD of the Extended Abstract of the thesis mentioned in Annexure – A. A declaration by the candidate that the thesis has not been submitted for any other degree or diploma, as per the format given in Annexure – B. A certificate from the Advisor, Head of the Department and the Dean of the School that the thesis has been submitted for the award of the concerned degree of the University, as per the format given in Annexure – C. The thesis shall be either in English or in Hindi except for the case where the subject of the thesis itself is a language. In such a case, the thesis may, at the option of the candidate, be in that specific language.	No Change	5.3 The candidate shall submit the thesis as per the following guidelines: Five copies of the thesis in hardbound form as per the format given in Annexure – A. The title page of the thesis shall contain a statement that the thesis has been submitted for the award of the concerned degree for which the candidate has been admitted. A soft copy in CD of the Extended Abstract of the thesis mentioned in Annexure – A. A declaration by the candidate that the thesis has not been submitted for any other degree or diploma, as per the format given in Annexure – B. A certificate from the Advisor, Head of the Department and the Dean of the School that the thesis has been submitted for the award of the concerned degree of the University, as per the format given in Annexure – C. The thesis shall be either in English or in Hindi except for the case where the subject of the thesis itself is a language. In such a case, the thesis may, at the option of the candidate, be in that specific language.
5.4 The work of the candidate shall comply with the following conditions to merit the award of the degree: (a) It must be a substantial work making a distinct addition to learning in the concerned subject of the discipline. (b) It must be original in the sense of opening up new fields of research, or of making a marked advancement on the results of previous investigations, or of giving a new interpretation of the facts already known. (c) It must be a scholarly work of high quality. (d) It must be the work done during the last five years before the submission of the thesis. (e) It must be the work published in reputed journals in the form of research papers and/ or published	No Change	5.4 The work of the candidate shall comply with the following conditions to merit the award of the degree: (a) It must be a substantial work making a distinct addition to learning in the concerned subject of the discipline. (b) It must be original in the sense of opening up new fields of research, or of making a marked advancement on the results of previous investigations, or of giving a new interpretation of the facts already known. (c) It must be a scholarly work of high quality. (d) It must be the work done during the last five years before the submission of the thesis. (e) It must be the work published in reputed journals in the form of research papers and/ or published in the form of books/ monographs, chapter contribution to

in the form of books/ monographs, chapter contribution to books/monographs, etc., out of which at least two must be authored solely by the candidate. (f) It must not be the work, which has been previously submitted for a degree or a diploma in this or in any other University.		books/ monographs, etc., out of which at least two must be authored solely by the candidate. (f) It must not be the work, which has been previously submitted for a degree or a diploma in this or in any other University.
6. EXAMINATION 6.2 Panel of Examiners: While forwarding the thesis of the candidate to the Academic Section of the University, the RDC shall recommend a panel of examiners of six experts in the concerned area of the work submitted from out of state of Madhya Pradesh.	Panel of Examiners: The BoS shall recommend a panel of six experts in the concerned area of the work to the Academic Affairs section.	Panel of Examiners: The BoS shall recommend a panel of six experts in the concerned area of the work to the Academic Affairs section.
6.3 Board of Examiners: On receipt of the panel of the examiners, the Academic Section shall forward the same to the Controller of Examinations, who in turn shall submit it to the Vice-Chancellor for the appointment of the Board of Examiners from the panel. The Board of Examiners shall consist of two members.	**No Change**	Board of Examiners: On receipt of the panel of the examiners, the Academic Section shall forward the same to the Controller of Examinations, who in turn shall submit it to the Vice-Chancellor for the appointment of the Board of Examiners from the panel. The Board of Examiners shall consist of two members.
6.4 Evaluation of Thesis: (a) The controller of examinations shall get in touch with each examiner to ensure acceptance of the examiner ship. For this purpose, if e-mail address of the examiner is available, he/ she shall be contacted through e-mail and the soft copy of the Extended Abstract of the thesis may be sent to him/ her, to get his/ her consent at the earliest. If however, no information is received from an examiner within a reasonable time, his/ her appointment shall be cancelled and a new examiner shall be appointed from the existing panel of examiners in accordance with Clause 6.3. (b) On receipt of the acceptance from an examiner, the Controller of Examinations shall forward the copy of the thesis to him/ her, along with a copy of the regulations relating to the award of the D. Sc./ D. Litt./ LL. D. degree of this University and take necessary action to get the report of the examiner expeditiously.	**No Change**	**6.4 Evaluation of Thesis:** (a) The controller of examinations shall get in touch with each examiner to ensure acceptance of the examiner ship. For this purpose, if e-mail address of the examiner is available, he/ she shall be contacted through e-mail and the soft copy of the Extended Abstract of the thesis may be sent to him/ her, to get his/ her consent at the earliest. If however, no information is received from an examiner within a reasonable time, his/ her appointment shall be cancelled and a new examiner shall be appointed from the existing panel of examiners in accordance with Clause 6.3. (b) On receipt of the acceptance from an examiner, the Controller of Examinations shall forward the copy of the thesis to him/ her, along with a copy of the regulations relating to the award of the D. Sc./ D. Litt./ LL. D. degree of this University and take necessary action to get the report of the examiner expeditiously.

(c) The examiners shall be requested to submit their individual reports within two months of the receipt of the thesis.		(c) The examiners shall be requested to submit their individual reports within two months of the receipt of the thesis.
(d) In case, an examiner does not send his/her report within the above period, a reminder shall be sent to him/her. This shall be followed by a subsequent reminder after a fortnight.		(d) In case, an examiner does not send his/her report within the above period, a reminder shall be sent to him/her. This shall be followed by a subsequent reminder after a fortnight.
(e) In the event of the report not being received from the examiner within 6 months, his/her examiner ship shall be cancelled and a new examiner shall be appointed, from the existing panel of examiners, as per Clause 6.3.		(e) In the event of the report not being received from the examiner within 6 months, his/her examiner ship shall be cancelled and a new examiner shall be appointed, from the existing panel of examiners, as per Clause 6.3.
(f) The examiners shall examine the thesis specifically with a view to judge whether the work is in accordance with Clause 5.4.		(f) The examiners shall examine the thesis specifically with a view to judge whether the work is in accordance with Clause 5.4.
(g) The examiners shall give explicit reports with any one of the following recommendations :		(g) The examiners shall give explicit reports with any one of the following recommendations :
(i) the thesis be accepted for the award of D. Sc./ D. Litt./ LL. D. degree		(i) the thesis be accepted for the award of D. Sc./ D. Litt./ LL. D. degree
(ii) the thesis be rejected		(ii) the thesis be rejected
(iii) The thesis be submitted in a revised form after adding some more work to the already submitted work.		(iii) The thesis be submitted in a revised form after adding some more work to the already submitted work.
(h) The examiner shall give specific and unambiguous reasons for his/ her recommendations. If the thesis is recommended for revision, the examiner may suggest points for improvement of the presented work.		(h) The examiner shall give specific and unambiguous reasons for his/ her recommendations. If the thesis is recommended for revision, the examiner may suggest points for improvement of the presented work.
(i) If the thesis is recommended for revision, the candidate shall be required to submit the revised thesis not earlier than six months and not later than two years, from the date of communication of the report to him/ her by the University. The candidate shall be required to remit only the Examination fee for submitting the revised thesis.		(i) If the thesis is recommended for revision, the candidate shall be required to submit the revised thesis not earlier than six months and not later than two years, from the date of communication of the report to him/ her by the University. The candidate shall be required to remit only the Examination fee for submitting the revised thesis.
(j) If the thesis has been recommended for revision, a fresh appointment of examiners in accordance with Clause 6.3 shall be made from the existing panel of examiners. If the need be, a fresh panel of examiners may be recommended by the RDC. The other procedures as per the Clauses 6.4 (a) to (f) shall be		(j) If the thesis has been recommended for revision, a fresh appointment of examiners in accordance with Clause 6.3 shall be made from the existing panel of examiners. If the need be, a fresh panel

followed for the evaluation of the thesis. However, the Controller of Examinations, along with the revised thesis, shall send the copy (copies) of the recommendation(s) of the examiner(s) who recommended the revision of the thesis. (k) The examiners who evaluate the revised thesis shall recommend only either the acceptance or the rejection of the thesis and shall not recommend any further revision of the thesis.	(j) If the thesis has been recommended for revision, a fresh appointment of examiners in accordance with Clause 6.3 shall be made from the existing panel of examiners. If the need be, a fresh panel of examiners may be recommended by the BoS. The other procedures as per the Clause 6.4 (a) to (f) shall be followed for the evaluation of the thesis. However, the Controller of Examinations, along with the revised thesis, shall send the copy (copies) of the recommendation (s) of the examiner (s) who recommended the revision of the thesis. **No Change**	of examiners may be recommended by the BoS. The other procedures as per the Clause 6.4 (a) to (f) shall be followed for the evaluation of the thesis. However, the Controller of Examinations, along with the revised thesis, shall send the copy (copies) of the recommendation (s) of the examiner (s) who recommended the revision of the thesis. (k) The examiners who evaluate the revised thesis shall recommend only either the acceptance or the rejection of the thesis and shall not recommend any further revision of the thesis.
6.5 Award of the Degree (a) The reports of all the examiners shall be placed before the concerned RDC. If all the reports are unanimous, recommending the thesis to be accepted for the award of the degree, and if the RDC considers the case to be fit and proper, it shall recommend it for the award of the degree. (b) Even if one examiner recommends the rejection of the thesis, the thesis shall be rejected. (c) If the thesis is rejected, the candidate shall not be allowed to apply again for admission within a period of 4 (four) years. (c) After the Research Degree Committee approves the thesis for the award of the degree, the candidate concerned may be given the examiners' reports for which he/ she shall apply separately. (d) The year of award of the degree shall be the year of submission of the thesis provided the thesis is accepted without revision. In case of revision, the year of award of the degree shall be the year of submission of the revised thesis.	(a) The reports of all the examiners shall be placed before the Vice-Chancellor. If all the reports are unanimous, recommending the thesis to be accepted for the award of the degree, and if the Vice-Chancellor considers the case to be fit and proper, he/she shall recommend it for the conduct of viva-voce. (b) Even if one examiner recommends the rejection of the thesis, the thesis shall be rejected. (c) If the thesis is rejected, the candidate shall not be allowed to apply again for admission within a period of 4 (four) years. **Deleted** (d) The candidate shall be required to defend the thesis in a viva voce before a Board of Examiners consisting of one of the thesis examiner, the Head of the Department concerned and the Advisor.	**6.5 Award of the Degree** (a) The reports of all the examiners shall be placed before the Vice-Chancellor. If all the reports are unanimous, recommending the thesis to be accepted for the award of the degree, and if the Vice-Chancellor considers the case to be fit and proper, he/she shall recommend it for the conduct of viva-voce. (b) Even if one examiner recommends the rejection of the thesis, the thesis shall be rejected. (c) If the thesis is rejected, the candidate shall not be allowed to apply again for admission within a period of 4 (four) years. **Deleted** (d) The candidate shall be required to defend the thesis in a viva voce before a Board of Examiners consisting of one of the thesis examiner, the Head of the Department concerned and the Advisor.

(e) The degree certificate shall mention the title of the thesis and the name of the concerned Department/ School in which the candidate was admitted. (f) The Academic Section shall send one copy of the thesis duly approved for the award of the degree, for preserving in the library of the University and the other in the departmental/ faculty library.	(e) The report of the viva voce examination will be placed before the Vice-Chancellor, who after satisfactory report of the viva voce may permit the award of the degree to the candidate. (f) The year of award of the degree shall be the year of the successful completion of the viva-voce. (g) The Academic Section shall send one copy of the thesis duly approved for the award of the degree, for preserving in the library of the University and the other in the departmental/ faculty library.	(e) The report of the viva voce examination will be placed before the Vice-Chancellor, who after satisfactory report of the viva voce may permit the award of the degree to the candidate. (f) The year of award of the degree shall be the year of the successful completion of the viva-voce. (g) The Academic Section shall send one copy of the thesis duly approved for the award of the degree, for preserving in the library of the University and the other in the departmental/ faculty library.
7. Notwithstanding anything contained in these Ordinances, all matters related to the candidates shall be governed by the rules and procedures framed by the Academic Council that are in force at that point of time.	**No Change**	7. Notwithstanding anything contained in these Ordinances, all matters related to the candidates shall be governed by the rules and procedures framed by the Academic Council that are in force at that point of time.
8. From the date when these Ordinances come into operation, all previous Ordinances on the subject shall cease to have effect. Provided that this revocation shall not affect the previous Ordinances so revoked or anything done or suffered under any previous Ordinances so revoked or affect any right, privilege, obligation or liability acquired, arrived or incurred under any Ordinances so revoked.	**No Change**	8. From the date when these Ordinances come into operation, all previous Ordinances on the subject shall cease to have effect. Provided that this revocation shall not affect the previous Ordinances so revoked or anything done or suffered under any previous Ordinances so revoked or affect any right, privilege, obligation or liability acquired, arrived or incurred under any Ordinances so revoked.
9. Any doubt or dispute about the interpretation of these Ordinances shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision, in his capacity as the Chairman, Academic Council, shall be final. The Vice-Chancellor may modify, amend and/ or delete any of the clauses given in these Ordinances or add any clause(s) to these Ordinances, to facilitate the	**No Change**	9. Any doubt or dispute about the interpretation of these Ordinances shall be referred to the Vice-Chancellor, whose decision, in his capacity as the Chairman, Academic Council, shall be final. The Vice-Chancellor may modify, amend and/ or delete any of the clauses given in these Ordinances or add any clause(s) to these Ordinances, to facilitate the pursuit of excellence in research, provided that any such modification, amendment, deletion, and addition shall be reported to

pursuit of excellence in research, provided that any such modification, amendment, deletion, and addition shall be reported to the Academic Council at its next meeting for approval.		the Academic Council at its next meeting for approval.

ORDINANCE-33**

Existing	Amended
DEPARTMENTS OF STUDIES AND DUTIES OF DEPARTMENT **(Under Statute 15(5) (b) of the Central Universities Act, 2009)**	**CONSTITUTION, FUNCTIONS AND DUTIES OF THE DEPARTMENTS IN THE SCHOOL** **(Under Statute 15(5) (b) of the Central Universities Act, 2009)**
1. Members nominated:	**Constitution of the Department**
(1) Two teachers (Conveners UG and PG Programs) of the University who are experts in allied or cognate subject dealt within the Department to be nominated by the Academic Council for a period of two years, provided that no such teacher shall be nominated as a member of more than two Departments.	Each Department in a School shall consist of the members as given in the Statutes (15(5) (b) and also such other persons as are designated members of the Department by the School Board concerned on the recommendations of the Department concerned.
(2) Not more than two persons, not engaged in teaching in the University and having expert knowledge of the subject or subjects dealt within the Department of Centre, may be nominated as members **by the Board of the School** concerned for a period of two years.	**Deleted**
2. Duties of the Departments of Centre: The Duties of a Department shall be:	
(a) to recommend to the Board of the School concerned names of examiners in respect of the subject or subjects dealt with by the Department as the case may be;	**Deleted**
(b) to recommend to the admissions Committee (Committee for Advanced Studies and Research) applications for candidates for admission to the research degree along with details of the subjects to be assigned to the candidates and the names of the teachers in the Department to be appointed as Supervisor;	**No Change**
(c) to approve the subjects for dissertations at the Master's level.	No Change

झ. मुक्त ऐच्छिक में पंजीयन पहले आओ–पहले पाओं के आधार पर किया जायेगा, बशर्ते विद्यार्थी पाठ्यक्रम की पूर्व–आवश्यकताएँ, यदि कोई हों, पूरी करते हों।

ञ. मुक्त ऐच्छिक हेतु परीक्षा का आयोजन एवं मूल्यांकन पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विभाग द्वारा किया जायेगा; हालाँकि, अभ्यर्थी की प्रदर्शन रिपोर्ट मूल विभाग को भेजी जायेगी।

अध्यादेश– 23(ब)***

विज्ञान वाचस्पति(डी.एससी.), साहित्य वारिधि(डी.लिट.), एवं विधि वाचस्पति(एलएल.डी.) की उपाधि प्रदान करना

विद्यमान	संशोधन	संशोधन उपरांत
1. अर्हता 1.1 विश्वविद्यालय के डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी.कार्यक्रम(प्रोग्राम) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों का संबंधित विषय में अत्यंत उत्कृष्ट शोधकार्य होना अनिवार्य है, साथ ही प्रवेश हेतु अधोलिखित न्यूनतम आवश्यक अर्हता होनी चाहिए : अभ्यर्थी आवेदन तिथि से कम–से–कम 05 (पाँच) अकादमिक वर्ष पूर्व इस विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी–एच.डी. या समकक्ष उपाधि धारक अवश्य होना चाहिए, अथवा आवेदन तिथि से कम–स–कम 05 (पाँच) अकादमिक वर्ष पूर्व अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी–एच.डी. या समकक्ष उपाधि धारक अवश्य होना चाहिए, अथवा आवेदन तिथि से पूर्व इस विश्वविद्यालय में कम–से–कम 05 (पाँच) वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके इस विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षक तथा इस या अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी.एच.डी. या समकक्ष उपाधि धारक अवश्य होना चाहिए।	कोई परिवर्तन नहीं	1. अर्हता 1.1 विश्वविद्यालय के डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम(प्रोग्राम) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों का संबंधित विषय में अत्यंत उत्कष्ट शोधकार्य होना अनिवार्य है, साथ ही प्रवेश हेतु अधोलिखित न्यूनतम आवश्यक अर्हता होनी चाहिए : अभ्यर्थी आवेदन तिथि से कम–से–कम 05 (पाँच) अकादमिक वर्ष पूर्व इस विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी–एच.डी. या समकक्ष उपाधि धारक अवश्य होना चाहिए, अथवा आवेदन तिथि से कम–स–कम 05 (पाँच) अकादमिक वर्ष पूर्व अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी–एच.डी. या समकक्ष उपाधि धारक अवश्य होना चाहिए, अथवा आवेदन तिथि से पूर्व इस विश्वविद्यालय में कम–से–कम 05 (पाँच) वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके इस विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षक तथा इस या अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी.एच.डी. या समकक्ष उपाधि धारक अवश्य होना चाहिए।
2. आवेदन 2.1 डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश के इच्छुक एवं इन अध्यादेशों के उपनियम 1.1 के अनुसार अर्ह अभ्यर्थी को निम्नलिखित के साथ परीक्षा नियंत्रक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा : पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित जीवन परिचय जिसमें शैक्षणिक योग्यताओं, विशेषज्ञता का क्षेत्र, शोध अनुभव अकादमिक विशेष योग्यतायें इत्यादि का विवरण हो। *शोधप्रबंध का शीर्षक* जिस सुसंगत विषय में डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश हेतु	कोई परिवर्तन नहीं	2. आवेदन 2.1 डी.एससी. / डी.लिट. / एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश के इच्छुक एवं इन अध्यादेशों के उपनियम 1.1 के अनुसार अर्ह अभ्यर्थी को निम्नलिखित के साथ परीक्षा नियंत्रक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा : पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित जीवन परिचय जिसमें शैक्षणिक योग्यताओं, विशेषज्ञता का क्षेत्र, शोध अनुभव अकादमिक विशेष योग्यतायें इत्यादि का विवरण हो। *शोधप्रबंध का शीर्षक* जिस सुसंगत विषय में डी.एससी./डी.लिट./

आवेदन किया है उससे संबंधित विषय पर लगभग 1000 शब्दों में अपने नवीन शोध कार्य का ऐसा संक्षिप्त विवरण जो कार्य के मौलिक होने एवं ज्ञान की प्रोन्नति में योगदान को प्रदर्शित करता हो। *प्रकाशनों की सूची* शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति 2.2 किसी अकादमिक वर्ष में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 2.3 परीक्षा नियंत्रक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर आवेदक का आवेदन संबंधित अध्ययनशाला/ केन्द्र को प्रेषित करेंगे।		एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश हेतु आवेदन किया है उससे संबंधित विष्य पर लगभग 1000 शब्दों में अपने नवीन शोध कार्य का ऐसा संक्षिप्त विवरण जो कार्य के मौलिक होने एवं ज्ञान की प्रोन्नति में योगदान को प्रदर्शित करता हो। *प्रकाशनों की सूची* शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति 2.2 किसी अकादमिक वर्ष में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 2.3 परीक्षा नियंत्रक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर आवेदक का आवेदन संबंधित अध्ययनशाला/केन्द्र को प्रेषित करेंगे।
3. शोध–उपाधि समिति(आरडीसी) 3.1 विश्वविद्यालय के डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी.कार्यक्रम (प्रोग्राम) से संबंधित सभी मामले इन अध्यादेशों के अनुसार विद्यापरिषद के सामान्य पर्यवेक्षण में आरडीसी नामक समिति द्वारा देखे जायेंगे। परन्तु प्रदान की जाने वाली उपाधि का औपचारिक अनुमोदन केवल शोध–उपाधि समिति द्वारा किया जायेगा जिसका गठन निम्नानुसार होगा। 3.2 शोध–उपाधि समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे : कुलपति अध्यक्ष सम–कुलपति सदस्य संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता सदस्य संबंधित विभागाध्यक्ष सदस्य दो विशेषज्ञ सदस्य जिनमें से एक कुलपति द्वारा नामित एवं दूसरे संबंधित अभ्यर्थी के परामर्शदाता द्वारा नामित सदस्य कुलसचिव सचिव	**विलोपित करें**	**विलोपित किया**
4. प्रवेश 4.1 आरडीसी अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा कर प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के प्रवेश की अनुशंसा विश्वविद्यालय के अकादमिक अनुभाग को करेगी। आरडीसी अभ्यर्थियों के परामर्शदाताओं के नाम की सूची भी अकादमिक अनुभाग को संबंधित अभ्यर्थियों को संसूचित करने हेतु प्रेषित करेगी।	4.1 अध्ययन मंडल डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगा। अध्ययन मंडल कम–से–कम एक बाह्य सदस्य के साथ चुने हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगा एवं अभ्यर्थियों की क्षमता का आंकलन करने के बाद अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा विश्वविद्यालय के	4.1 अध्ययन मंडल डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगा। अध्ययन मंडल कम–से–कम एक बाह्य सदस्य के साथ चुने हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगा एवं अभ्यर्थियों की क्षमता का आंकलन करने के बाद अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा विश्वविद्यालय के अकादमिक मामलों के अनुभाग को करेगा।

4.2 आरडीसी द्वारा अनुशंसित प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु पत्र कुलसचिव जारी करेगा। 4.3 प्रवेश हेतु पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर अभ्यर्थी विद्यापरिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर पंजीयन प्रपत्र भर कर संबंधित विभाग में पंजीयन करायेगा।	अकादमिक मामलों के अनुभाग को करेगा। 4.2 अध्ययन मंडल अभ्यर्थियों के परामर्शदाताओं के नाम की सूची भी अकादमिक मामलों के अनुभाग को संबंधित अभ्यर्थियों को संसूचित करने हेतु प्रेषित करेगा। 4.3 अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु पत्र कुलसचिव कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त जारी करेंगे।	4.2 अध्ययन मंडल अभ्यर्थियों के परामर्शदाताओं के नाम की सूची भी अकादमिक मामलों के अनुभाग को संबंधित अभ्यर्थियों को संसूचित करने हेतु प्रेषित करेगा। 4.3 अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु पत्र कुलसचिव कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त जारी करेंगे।
5. शोधप्रबंध प्रस्तुति 5.1 इस अध्यादेश के उपनियम 4 के अनुसार डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेशित अभ्यर्थी को शोधप्रबंध जमा करने के पूर्व विभाग में प्री–सब्मिशन सेमीनार देना होगा। यह सेमीनार अभ्यर्थी के परामर्शदाता द्वारा विभाग/अध्ययशाला के शिक्षकों एवं अन्य शोधार्थियों को अभ्यर्थी का कार्य बताने के उद्देश्य से आयोजित किया जायेगा।	डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेशित अभ्यर्थी को शोधप्रबंध जमा करने के पूर्व विभाग में संबंधित विभाग के अध्ययन मंडल के समक्ष जिसमें अध्ययन मंडल का कम–से–कम एक बाह्य सदस्य अवश्य उपस्थित हो, प्री–सब्मिशन सेमीनार देना होगा। यह सेमीनार अभ्यर्थी के परामर्शदाता द्वारा आयोजित किया जायेगा। अध्ययन मंडल की अनुशंसा पर अभ्यर्थी को शोधप्रबंध जमा करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।	डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. कार्यक्रम (प्रोग्राम) में प्रवेशित अभ्यर्थी को शोधप्रबंध जमा करने के पूर्व विभाग में संबंधित विभाग के अध्ययन मंडल के समक्ष जिसमें अध्ययन मंडल का कम–से–कम एक बाह्य सदस्य अवश्य उपस्थित हो, प्री–सब्मिशन सेमीनार देना होगा। यह सेमीनार अभ्यर्थी के परामर्शदाता द्वारा आयोजित किया जायेगा। अध्ययन मंडल की अनुशंसा पर अभ्यर्थी को शोधप्रबंध जमा करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
5.2 अभ्यर्थी अपने प्रवेश तिथि के एक वर्ष के भीतर आरडीसी द्वारा अनुमोदित एवं उसके अध्यक्ष द्वारा विधिवत अग्रेषित शोधप्रबंध कुलसचिव को प्रेषित करेंगे। 5.3 अभ्यर्थी निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अपना शोधप्रबंध प्रस्तुत करेगा : संलग्नक–क में दिए गए प्रारूप के अनुसार शोधप्रबंध की पाँच हार्डबाउंड प्रतियाँ शोधप्रबंध के शीर्षक पृष्ठ पर यह कथन होना चाहिए कि शोधप्रबंध संबंधित उपाधि हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभ्यर्थी प्रवेशित है। संलग्नक–क में उल्लिखित शोधप्रबंध के सम्यक् सार की सॉफ्टकॉपी सीडी में संलग्नक–ख में दिए गए प्रारूप के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा यह घोषणा कि शोधप्रबंध अन्य	अभ्यर्थी अपने प्रवेश की तिथि से दो वर्ष बाद शोधप्रबंध प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें अपने प्रवेश की तिथि से पाँच वर्ष के भीतर शोधप्रबंध अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। **कोई परिवर्तन नहीं**	5.2 अभ्यर्थी अपने प्रवेश की तिथि से दो वर्ष बाद शोधप्रबंध प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें अपने प्रवेश की तिथि से पाँच वर्ष के भीतर शोधप्रबंध अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। 5.3 अभ्यर्थी निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अपना शोधप्रबंध प्रस्तुत करेगा संलग्नक–क में दिए गए प्रारूप के अनुसार शोधप्रबंध की पाँच हार्डबाउंड प्रतियाँ शोधप्रबंध के शीर्षक पृष्ठ पर यह कथन होना चाहिए कि शोधप्रबंध संबंधित उपाधि हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभ्यर्थी प्रवेशित है। संलग्नक–क में उल्लिखित शोधप्रबंध के सम्यक् सार की सॉफ्टकॉपी सीडी में संलग्नक–ख में दिए गए प्रारूप के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा यह घोषणा कि शोधप्रबंध अन्य

किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु प्रस्तुत नहीं किय गया है। संलग्नक–ग में दिए गए प्रारूप के अनुसार परामर्शदाता, विभागाध्यक्ष एवं अध्ययन''शाला के अधिष्ठाता का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि शोधप्रबंध विश्वविद्यालय की संबंधित उपाधि प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। शोधप्रबंध अंग्रेजी या हिन्दी में होगा परन्तु यदि शोधप्रबंध का विषय ही भाषा है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के विकल्प पर शोधप्रबंध उस विशिष्ट भाषा में भी हो सकता है।		किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु प्रस्तुत नहीं किय गया है। संलग्नक–ग में दिए गए प्रारूप के अनुसार परामर्शदाता, विभागाध्यक्ष एवं अध्ययन''शाला के अधिष्ठाता का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि शोधप्रबंध विश्वविद्यालय की संबंधित उपाधि प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। शोधप्रबंध अंग्रेजी या हिन्दी में होगा परन्तु यदि शोधप्रबंध का विषय ही भाषा है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के विकल्प पर शोधप्रबंध उस विशिष्ट भाषा में भी हो सकता है।
5.4 उपाधि प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी के कार्य में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन होना आवश्यक है: (क) यह आवश्यक रूप से एक सारवान कार्य हो जो उस विद्या के संबंधित विषय के ज्ञान में महत्त्वपूर्ण वृद्धि करता हो; (ख) यह मौलिक हो जो शोध के क्षेत्र में नया आयाम हो या पूर्व अन्वेषणों के परिणामों में चिन्हित अभिवृद्धि करता हो या पूर्व ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या करता हो; (ग) यह उच्च गुणवत्ता का विद्वत कार्य हो; (घ) यह शोधप्रबंध प्रस्तुत करने के पूर्व की पाँच वर्ष की अवधि में किया गया कार्य हो। (ङ) यह प्रतिष्ठित शोध जर्नल में शोधपत्र के रूप में प्रकाशित हो एवं/या पुस्तक/मोनोग्राफ के रूप में, पुस्तक/मोनोग्राफ के अध्याय के रूप में प्रकाशित हो जिनमें से कम–से–कम दो का अभ्यर्थी का अनन्य लेखक हो। (च) यह कार्य पूर्व में इस या अन्य विश्वविद्यालय में किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु प्रस्तुत ना किया गया हो।	**कोई परिवर्तन नहीं**	5.4 उपाधि प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी के कार्य में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन होना आवश्यक है: (क) यह आवश्यक रूप से एक सारवान कार्य हो जो उस विद्या के संबंधित विषय के ज्ञान में महत्त्वपूर्ण वृद्धि करता हो; (ख) यह मौलिक हो जो शोध के क्षेत्र में नया आयाम हो या पूर्व अन्वेषणों के परिणामों में चिन्हित अभिवृद्धि करता हो या पूर्व ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या करता हो; (ग) यह उच्च गुणवत्ता का विद्वत कार्य हो; (घ) यह शोधप्रबंध प्रस्तुत करने के पूर्व की पाँच वर्ष की अवधि में किया गया कार्य हो। (ङ) यह प्रतिष्ठित शोध जर्नल में शोधपत्र के रूप में प्रकाशित हो एवं/या पुस्तक/मोनोग्राफ के रूप में, पुस्तक/मोनोग्राफ के अध्याय के रूप में प्रकाशित हो जिनमें से कम–से–कम दो का अभ्यर्थी अनन्य लेखक हो। (च) यह कार्य पूर्व में इस या अन्य विश्वविद्यालय में किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु प्रस्तुत ना किया गया हो।
6. परीक्षा 6.2 *परीक्षकों का पैनल* विश्वविद्यालय के अकादमिक अनुभाग को अभ्यर्थी का शोधप्रबंध अग्रेषित करते समय, आरडीसी संबंधित कार्य के विषय क्षेत्र से संबंधित मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के छह विशेषज्ञ परीक्षकों के एक पैनल की संस्तुति करेगी।	*परीक्षकों का पैनल* अध्ययन मंडल अकादमिक मामलों के अनुभाग को कार्य के विषय क्षेत्र से संबंधित छह विशेषज्ञों के पैनल की संस्तुति करेगा।	*परीक्षक पैनल* अध्ययन मंडल अकादमिक गतिविधियाँ अनुभाग को कार्य के क्षेत्र से संबंधित छह विशेषज्ञों के पैनल की संस्तुति करेगा।
6.3 *परीक्षक मंडल* परीक्षकों के पैनल की प्राप्ति पर अकादमिक अनुभाग उसे परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित कर देगा जो पैनल में से परीक्षक मंडल की नियुक्ति हेतु इसे कुलपति को प्रस्तुत करेंगे। परीक्षक मंडल में दो सदस्य होंगे।	**कोई परिवर्तन नहीं**	*परीक्षक मंडल* परीक्षकों के पैनल की प्राप्ति पर अकादमिक अनुभाग उसे परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित कर देगा जो पैनल में से परीक्षक मंडल की नियुक्ति हेतु इसे कुलपति की समक्ष प्रस्तुत करेंगे। परीक्षक मंडल में दो सदस्य होंगे।

6.4 शोधप्रबंध का मूल्यांकन (क) परीक्षकत्व की स्वीकृति सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा नियंत्रक प्रत्येक परीक्षक के संपर्क में रहेंगे। इस उद्देश्य से परीक्षक का ई–मेल पता उपलब्ध होने पर उनकी यथाशीघ्र सहमति हेतु ई–मेल से संपर्क किया जायेगा एवं शोधप्रबंध के विस्तारित सार की सॉफ्टकॉपी भी भेजी जा सकती है। परंतु यदि किसी परीक्षक से युक्ति–युक्त समय में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से एक नए परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी। (ख) परीक्षक से सहमति प्राप्त होने के पश्चात, परीक्षा नियंत्रक इस विश्वविद्यालय के डी. एससी./डी.लिट./एलएल.डी. उपाधि से संबंधित विनियमों की प्रति के साथ उस शोधप्रबंध की प्रति उन्हें अग्रेषित करेंगे और परीक्षक की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। (ग) परीक्षक से यह आग्रह किया जायेगा कि वह अपनी रिपोर्ट शोधप्रबंध प्राप्ति से दो माह के भीतर जमा कर दे। (घ) यदि कोई परीक्षक उपर्युक्त अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है तो उसे एक अनुस्मारक भेजा जायेगा। एक पखवाड़े बाद एक और अनुस्मारक भेजा जायेगा। (ड़) छह माह के भीतर परीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त ना होने पर, उसके परीक्षकत्व को निरस्त कर खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से एक नए परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी। (च) परीक्षक शोधप्रबंध का विशिष्टतया इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन करेंगे कि वह कार्य खंड 5.4 के अनुसार है या नहीं। (छ) परीक्षक निम्नलिखित अनुशंसाओं में से किसी एक अनुशंसा के साथ स्पष्ट रिपोर्ट देंगे : (i) शोधप्रबंध डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी उपाधि प्रदान करने हेतु स्वीकार किया जाये। (ii) शोधप्रबंध अस्वीकृत किया जाये (iii) पहले से ही प्रस्तुत क्रार्य में कुछ कार्य जोड़ने के उपरान्त शोधप्रबंध संशोधित रूप में जमा किया जाये। (ज) परीक्षक अपनी अनुशंसा हेतु विशिष्ट एवं स्पष्ट कारण देंगे। यदि शोधप्रबंध को परिशोधित करने की अनुशंसा की गयी है तो परीक्षक प्रस्तुत किये गये कार्य में सुधार हेतु सुझाव दे सकते हैं।	कोई परिवर्तन नहीं	6.4 शोधप्रबंध का मूल्यांकन (क) परीक्षकत्व की स्वीकृति सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा नियंत्रक प्रत्येक परीक्षक के संपर्क में रहेंगे। इस उद्देश्य से परीक्षक का ई–मेल पता उपलब्ध होने पर उनकी यथाशीघ्र सहमति हेतु ई–मेल से संपर्क किया जायेगा एवं शोधप्रबंध के विस्तारित सार की सॉफ्टकॉपी भी भेजी जा सकती है। परंतु यदि किसी परीक्षक से युक्ति–युक्त समय में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से एक नए परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी। (ख) परीक्षक से सहमति प्राप्त होने के पश्चात, परीक्षा नियंत्रक इस विश्वविद्यालय के डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी. उपाधि से संबंधित विनियमों की प्रति के साथ उस शोधप्रबंध की प्रति उन्हें अग्रेषित करेंगे और परीक्षक की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। (ग) परीक्षक से यह आग्रह किया जायेगा कि वह अपनी रिपोर्ट शोधप्रबंध प्राप्ति से दो माह के भीतर जमा कर दे। (घ) यदि कोई परीक्षक उपर्युक्त अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है तो उसे एक अनुस्मारक भेजा जायेगा। एक पखवाड़े बाद एक और अनुस्मारक भेजा जायेगा। (ड़) छह माह के भीतर परीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त ना होने पर, उसके परीक्षकत्व को निरस्त कर खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से एक नए परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी। (च) परीक्षक शोधप्रबंध का विशिष्टतया इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन करेंगे कि वह कार्य खंड 5.4 के अनुसार है या नहीं। (छ) परीक्षक निम्नलिखित अनुशंसाओं में से किसी एक अनुशंसा के साथ स्पष्ट रिपोर्ट देंगे : (i) शोधप्रबंध डी.एससी./डी.लिट./एलएल.डी उपाधि प्रदान करने हेतु स्वीकार किया जाये। (ii) शोधप्रबंध अस्वीकृत किया जाये। (iii) पहले से ही प्रस्तुत कार्य में कुछ कार्य जोड़ने के उपरान्त शोधप्रबंध संशोधित रूप में जमा किया जाये। (ज) परीक्षक अपनी अनुशंसा हेतु विशिष्ट एवं स्पष्ट कारण देंगे। यदि शोधप्रबंध को परिशोधित करने की अनुशंसा की गयी है तो परीक्षक प्रस्तुत किये गये कार्य में सुधार हेतु सुझाव दे सकते हैं।

(झ) यदि शोधप्रबंध में सुधार की अनुशंसा की गयी है तो अभ्यर्थी को संशोधित शोधप्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा उसे रिपोर्ट की सूचना दिए जाने की तिथि से कम–से–कम छह माह के बाद एवं दो साल के भीतर जमा करना होगा। संशोधित शोधप्रबंध प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी को केवल परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। (ञ) यदि शोधप्रबंध में सुधार की अनुशंसा की गयी है तो खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से नए परीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। आवश्यक होने पर आरडीसी नए परीक्षकों के पैनल की अनुशंसा कर सकती है। शोधप्रबंध के मूल्यांकन हेतु खंड 6.4(क) से (च) के अनुसार अन्य प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। परन्तु, परीक्षा नियंत्रक संशोधित शोधप्रबंध के साथ शोधप्रबंध में संशोधन की अनुशंसा करने वाले परीक्षक(ों) की अनुशांसा (ओं) की प्रति(याँ) को प्रेषित करेंगे। (ट) परिशोषित शोधप्रबंध का मूल्यांकन करने वाले परीक्षक शोधप्रबंध को केवल स्वीकृत या अस्वीकृत करने की अनुशंसा करेंगे वे शोधप्रबंध में किसी अन्य नये संशोधन की अनुशंसा नहीं करेंगे।	(ञ) यदि शोधप्रबंध में सुधार की अनुशंसा की गयी है तो खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से नए परीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। आव''यक होने पर अध्ययन मंडल नए परीक्षकों के पैनल की अनु''ंसा कर सकता है। शोधप्रबंध के मूल्यांकन हेतु खंड 6.4(क) से (च) के अनुसार अन्य प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। परन्तु, परीक्षा नियंत्रक संशोधित शोधप्रबंध के साथ शोधप्रबंध में संशोधन की अनुशंसा करने वाले परीक्षक(ों) की अनुशांसा(ओं) की प्रति(याँ) प्रेषित करेंगे।	(झ) यदि शोधप्रबंध में सुधार की अनुशंसा की गयी है तो अभ्यर्थी को संशोधित शोधप्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा उसे रिपोर्ट की सूचना दिए जाने की तिथि से कम–से–कम छह माह के बाद एवं दो साल के भीतर जमा करना होगा। संशोधित शोधप्रबंध प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी को केवल परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। (ञ) यदि शोधप्रबंध में सुधार की अनुशंसा की गयी है तो खंड 6.3 के अनुसार विद्यमान परीक्षकों के पैनल में से नए परीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। आवश्यक होने पर आरडीसी नए परीक्षकों के पैनल की अनुशंसा कर सकती है। शोधप्रबंध के मूल्यांकन हेतु खंड 6.4(क) से (च) के अनुसार अन्य प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। परन्तु, परीक्षा नियंत्रक संशोधित शोधप्रबंध के साथ शोधप्रबंध में संशोधन की अनुशंसा करने वाले परीक्षक(ों) की अनुशांसा (ओं) की प्रति(याँ) को प्रेषित करेंगे। (ट) परिशोषित शोधप्रबंध का मूल्यांकन करने वाले परीक्षक शोधप्रबंध को केवल स्वीकृत या अस्वीकृत करने की अनुशंसा करेंगे वे शोधप्रबंध में किसी अन्य नये संशोधन की अनुशंसा नहीं करेंगे।
6.5 उपाधि प्रदान करना (क) सभी परीक्षकों की रिपोर्टें संबंधित आरडीसी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यदि सभी रिपोर्टें एकमत से शोधप्रबंध को उपाधि प्रदान करने हेतु स्वीकार करने की अनुशंसा करती हैं और यदि आरडीसी को लगता है कि प्रकरण उपयुक्त एवं समुचित है तो वह उपाधि प्रदान करने की अनुशंसा करेगी।	**कोई परिवर्तन नहीं** (क) सभी परीक्षकों की रिपोर्टें कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यदि सभी रिपोर्टें एकमत से शोध–प्रबंध को उपाधि प्रदान करने हेतु स्वीकार करने की अनुशंसा करती हैं और यदि कुलपति को लगता है कि प्रकरण उपयुक्त एवं समुचित है तो वे मौखिकी हेतु अनुशंसा करेंगे।	**6.5 उपाधि प्रदान करना** (क) सभी परीक्षकों की रिपोर्टें कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यदि सभी रिपोर्टें एकमत से शोध–प्रबंध को उपाधि प्रदान करने हेतु स्वीकार करने की अनुशंसा करती हैं और यदि कुलपति को लगता है कि प्रकरण उपयुक्त एवं समुचित है तो वे मौखिकी हेतु अनुशंसा करेंगे।

(ख) यदि एक परीक्षक भी शोधप्रबंध को अस्वीकृत करने की अनुशंसा करता है तो शोधप्रबंध को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।	(ख) यदि एक परीक्षक भी शोधप्रबंध को अस्वीकृत करने की अनुशंसा करता है तो शोधप्रबंध को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।	(ख) यदि एक परीक्षक भी शोधप्रबंध को अस्वीकृत करने की अनुशंसा करता है तो शोधप्रबंध को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(ग) यदि शोधप्रबंध अस्वीकृत हो जाता है तो अभ्यर्थी को 04 (चार) वर्ष की अवधि के भीतर प्रवेश हेतु पुनः प्रवेश हेतु आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	(ग) यदि शोधप्रबंध अस्वीकृत हो जाता है तो अभ्यर्थी को 04 (चार) वर्ष की अवधि के भीतर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	(ग) यदि शोधप्रबंध अस्वीकृत हो जाता है तो अभ्यर्थी को 04 (चार) वर्ष की अवधि के भीतर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
(ग) शोध–उपाधि समिति द्वारा उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति के उपरांत संबंधित अभ्यर्थी को अलग से आवेदन करने पर परीक्षकों की रिपोर्ट दी जा सकती हैं।	**विलोपित किया जाये**	**विलोपित**
(घ) उपाधि प्रदान किए जाने का वर्ष शोधप्रबंध प्रस्तुत किए जाने का वर्ष होगा बशर्ते शोधप्रबंध बिना संशोधन के स्वीकृत हुआ हो। संशोधन के मामले में उपाधि प्रदान किए जाने का वर्ष परिशोधित शोधप्रबंध प्रस्तुत किए जाने का वर्ष होगा।	(घ) अभ्यर्थी को एक शोधप्रबंध परीक्षक, संबंधित विभागाध्यक्ष एवं परामर्शदाता के परीक्षक मंडल के समक्ष मौखिकी में अपने शोधप्रबंध का बचाव करना होगा।	घ) अभ्यर्थी को एक शोधप्रबंध परीक्षक, संबंधित विभागाध्यक्ष एवं परामर्शदाता के परीक्षक मंडल के समक्ष मौखिकी में अपने शोधप्रबंध का बचाव करना होगा।
(ङ) उपाधि प्रमाण–पत्र में शोधप्रबंध का शीर्षक, संबंधित विभाग/अध्ययनशाला, जिसमें अभ्यर्थी प्रवेशित था, का नाम उल्लिखित होगा।	(ङ) मौखिक परीक्षा की रिपोर्ट कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। वे मौखिक परीक्षा की रिपोर्ट संतोषजनक होने पर अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान करने की अनुमति दे सकते हैं।	(ङ) मौखिक परीक्षा की रिपोर्ट कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। वे मौखिक परीक्षा की रिपोर्ट संतोषजनक होने पर अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान करने की अनुमति दे सकते हैं।
(च) अकादमिक अनुभाग उपाधि प्रदान करने हेतु विधिवत स्वीकृत शोधप्रबंध की एक प्रति विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं दूसरी प्रति विभागीय/संकाय पुस्तकालय में परिरक्षित करने हेतु भेजेगा।	(च) उपाधि प्रदान किए जाने का वर्ष मौखिक परीक्षा के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने का वर्ष होगा।	(च) उपाधि प्रदान किए जाने का वर्ष मौखिक परीक्षा के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने का वर्ष होगा।
	(छ) अकादमिक अनुभाग उपाधि प्रदान करने हेतु विधिवत स्वीकृत शोधप्रबंध की एक प्रति विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं दूसरी प्रति विभागीय/संकाय पुस्तकालय में परिरक्षित करने हेतु भेजेगा।	(छ) अकादमिक अनुभाग उपाधि प्रदान करने हेतु विधिवत स्वीकृत शोधप्रबंध की एक प्रति विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं दूसरी प्रति विभागीय/संकाय पुस्तकालय में परिरक्षित करने हेतु भेजेगा।
7. इन अध्यादेशों में कुछ विहित होते हुये भी अभ्यर्थियों से जुड़े सभी मामले विद्यापरिषद द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं, जो उस समय प्रभावी हैं, द्वारा शासित होंगे।	**कोई परिवर्तन नहीं**	7. इन अध्यादेशों में कुछ विहित होते हुये भी अभ्यर्थियों से जुड़े सभी मामले विद्यापरिषद द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं, जो उस समय प्रभावी हैं, द्वारा शासित होंगे।
8. इन अध्यादेशों के प्रभावी होने की तिथि से इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अध्यादेयश निष्प्रभावी हो जायेंगे। परंतु यह प्रतिसंहरण इस प्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादेशों को *या* इसप्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादेशों के तहत कुछ भी किये गये या भुक्ते गए *या* इस प्रकार प्रतिसंहरित किसी अध्यादेश के तहत अर्जित, प्राप्त *या* आगत किसी अधिकार,	**कोई परिवर्तन नहीं**	8. इन अध्यादेशों के प्रभावी होने की तिथि से इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अध्यादेश निष्प्रभावी हो जायेंगे।परंतु यह प्रतिसंहरण इस प्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादशों को *या* इस प्रकार प्रतिसंहरित पिछले अध्यादेशों के तहत कुछ भी किये गये या भुक्ते गए *या* इसप्रकार प्रतिसंहरित किसी अध्यादेश के तहत अर्जित, प्राप्त *या* आगत किसी

विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।		अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।
9. इन अध्यादेशों की व्याख्या के संबंध में किसी भी संदेह या विवाद को कुलपति को संदर्भित किया जायेगा। विद्यापरिषद के अध्यक्ष के रूप में उनका निर्णय अंतिम होगा। कुलपति शोध में उत्कृष्टता के अनुसरण में इन अध्यादेशों में दिए गए किन्हीं खंडों को आशोधित, संशोधित एवं/या घटा या जोड़ सकते हैं। परंतु यह भी कि इस प्रकार के किसी भी आ''ोधन, सुधार, घटाने एवं जोड़ने को विद्यापरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रेषित करना होगा।	कोई परिवर्तन नहीं	9. इन अध्यादेशों की व्याख्या के संबंध में किसी भी संदेह या विवाद को कुलपति को संदर्भित किया जायेगा। विद्यापरिषद के अध्यक्ष के रूप में उनका निर्णय अंतिम होगा। कुलपति शोध में उत्कृष्टता के अनुसरण में इन अध्यादेशों में दिए गए किन्हीं खंडों को आशोधित, संशोधित एवं/या घटा या जोड़ सकते हैं। परंतु यह भी कि इस प्रकार के किसी भी आशोधन, सुधार, घटाने एवं जोड़ने को विद्यापरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रेषित करना होगा।

अध्यादेश–33**	
विद्यमान	**संशोधन**
अध्ययन विभाग एवं विभागों के कर्त्तव्य [केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 15(5)(ख) के तहत]	अध्ययनशाला में विभागों का गठन उनके कार्य एवं कर्त्तव्य [केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 15(5)(ख) के तहत] विभाग का गठन किसी अध्ययनशाला के प्रत्येक विभाग में परिनियम 15(5)(ख) में दिए गए सदस्य और संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा संबंधित विभाग की अनुशंसा पर विभाग के पदनामित सदस्य होंगे।
1. मनोनीत सदस्य : (1) विश्वविद्यालय के दो शिक्षकों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के संयोजक), जो विभाग के भीतर संबद्ध अथवा सजातीय विषय के विशेषज्ञ हैं, को विद्यापरिषद द्वारा दो वर्ष की अवधि हेतु मनोनीत किया जायेगा। परन्तु ऐसे किसी भी शिक्षक को दो से अधिक विभागों के सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया जाना चाहिए।	विलोपित
(2) संबंधित स्कूल बोर्ड द्वारा अधिकतम दो व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य से जुड़े नहीं हैं और केन्द्र के विभागों के भीतर के विषयों या विषय के विशेषज्ञ हैं, को दो वर्ष की अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया जा सकता है।	
2. केंद्र के विभागों के कर्त्तव्यः विभागों के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे:	
क) विभाग के भीतर संचालित विषय या विषयों (यथा	विलोपित